

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- मांगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्या:- 263/2019

- | | | |
|--------------|--|---|
| 1 बलकरण सिंह | | पुत्र मोहन सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरावाली |
| 2 हरचरण सिंह | | तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) |

वादीगण

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मनजीत कौर पुत्री मोहन सिंह पत्नी तेज सिंह जाति कुम्हार निवासी सोहनेवाला तहसील सादुलशहर
3. बलजीत कौर पुत्री मोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति कुम्हार निवासी चक सोहनेवाला तहसील सादुलशहर।
4. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी.बैंक दीनगढ़ तहसील संगरिया।
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी, रविन्द्र कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 1 केएसडी के खाता संख्या 138/166 जमाबन्दी सम्वत 2068-71 में दर्ज कुल 2.530 हैक्टेयर मे से वादी संख्या 1 को 0.759 हैक्टेयर का और वादी संख्या 2 को 0.759 हैक्टेयर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1.012 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादी संख्या 1 मोहन सिंह के नाम बदस्तुर रहेगी।

नोट:- उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.02.2020 को जारी किया गया।

(मांगी लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

